Indian J. Soc. & Pol. 10 (01) : 93-98: 2023 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
First Published Online 31 JANUARY 2023 **ISSN: 2455-2127 (ONLINE)**

आरक्षण के माध्यम से भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा : संभावनाएँ और सीमाएँ

मधु झा[1]

[1]सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

ABSTRACT

2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुए एक दशक से अधिक समय हो गया है। लोकसभा में इसे पेश करने के प्रति राजनीतिक उदासीनता के कारण उत्साह जल्द ही समाप्त हो गया। कानून बनने के लिए बिल को स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में पारित करने की आवश्यकता है। निचला सदन जहां बिल की बेहतर संभावना है (सरकार के संख्यात्मक बहुमत के कारण) पारित होने के लिए अभी तक बिल को टेबल पर देखना बाकी है। यह वास्तविकता भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति और उसी के राजनीतिक प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में कोटा आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है। यह शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति को मैप करने और हाल के चुनावों में मतदाताओं के रूप में उनकी बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास है।

KEYWORDS: *राजनीतिक सशक्तिकरण, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, महिला, भागीदारी*

लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण को संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुए लगभग एक दशक हो गया है। बिल को अभी लोकसभा में पेश किया जाना है। राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, रूप और लामबंदी की क्षमता जो भी हो, औपचारिक राजनीति और निर्णय लेने से महिलाओं के आभासी बहिष्कार या हाशिए पर टिकी हुई है। उस बहिष्करण की सर्वव्यापकता और चरमता ने लंबे समय तक ध्यान खींचा है। जहां 2022 (IPU, 2022) में राष्ट्रीय संसदों में महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत 26.2 प्रतिशत था, वहीं भारतीय औसत 12 प्रतिशत है। क्यों जब जातीय और नस्लीय प्रतिनिधित्व में असमानता कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद से औपचारिक राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का मुद्दा एक अंतहीन मांग बना हुआ है। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विधायिका में प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। महिलाओं की औपचारिक राजनीतिक भागीदारी के लिए शोध और बाधाओं को दूर करने के प्रयासों के आह्वान का विशेष हितों (नेल्सन और चौधरी, 1997) के बारे में चिंता के साथ स्वागत नहीं किया गया है। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक के आने के बाद से महिलाएं राजनीति में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लगभग 20–25 वर्षों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही हैं।

महिलाएं जो लगभग आधी नागरिकता और मतदान शक्ति का गठन करती हैं, उन्हें वह नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। यदि भारत में सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं की वास्तविक हिस्सेदारी नहीं है तो यह आधा लोकतंत्र है। ऐसा लगता है कि पिछली आधी सदी जिसके दौरान हमारी शिक्षित, शहरी महिलाएं दलितों द्वारा सिखाए जा सकने वाले पाठों को सीखने से पहले पहिया को फिर से शुरू कर रही थीं कि भारत के लोकतंत्र बनने के बावजूद, हीनता की एक सामंती और झूठी पौराणिक कथाओं को आधार बनाया गया। महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा से दूर रखने के लिए लिंग और जाति का बार–बार इस्तेमाल किया गया। इसलिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को पिछले 70 वर्षों की घटनाओं के प्राकृतिक जैविक विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे स्थापित करने के लिए न तो बहुत अधिक शोध या डेटा की आवश्यकता है, किसी भी प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, या अन्य संकेतक के आधार पर, एक वर्ग के रूप में महिलाएं न केवल शाब्दिक रूप से कमजोर सेक्स हैं बल्कि स्पष्ट रूप से एक अशक्त वर्ग भी हैं। जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत शामिल करते हुए, महिला–पुरुष लिंगानुपात में लगातार गिरावट आई है। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां कुछ जातियों और वर्गों के हाशिए पर जाने को मान्यता दी गई है, वहीं महिलाओं के इन वर्गों के निवारण के प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां अल्पसंख्यक सिद्धांत के आधार पर अनुसूचित जाति (15 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (7.5 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ा वर्ग (27 प्रतिशत) के लिए आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। महिलाएं एक समुदाय नहीं हैं, वे एक विषम श्रेणी हैं। हालाँकि उनकी अपनी कुछ वास्तविक समस्याएं हैं, वे पुरुषों के साथ अपने समूहों, इलाके और समुदाय की समस्याओं को भी साझा करती हैं। इसी संदर्भ में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा अन्य प्रकार के आरक्षणों से अलग हो जाता है। आरक्षण का मुद्दा अपने आप में एक भावनात्मक मुद्दा है लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि महिलाओं की स्थिति इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई की मांग करती है। समान रूप से चूंकि महिलाओं के लिए आरक्षण वर्ग, जाति, धर्म और भाषा के अंतर को

1: Corresponding Author

कम करता है, इसलिए इसके एकीकृत होने और सभी श्रेणियों को लाभ पहुंचाने की संभावना है

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व

आधुनिक लोकतंत्र उन सरकारों पर आधारित हैं जिन्हें लोगों द्वारा चुना जाता है। लोग इस प्रकार वास्तविक संप्रभु हैं जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं ताकि वे उनकी ओर से निर्णय ले सकें और समाज को संगठित और कार्यात्मक बना सकें (आर्थर और मैकबिन्स, 1998)। प्रतिनिधित्व की प्रथा शायद सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे लोकतंत्र सिद्धांत रूप में स्वीकार करने और वास्तव में साकार करने का दावा करता है। प्रतिनिधित्व की अवधारणा इस विश्वास से प्रभावित होती है कि नागरिक अपने स्वयं के सार्वजनिक मामलों का सर्वोत्तम प्रबंधन कर सकते हैं और उन्हें ऐसा राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी के माध्यम से करना चाहिए। हालाँकि जैसा कि अतीत से स्पष्ट है कि समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे के कारण महिलाओं को लंबे समय तक नागरिकता से वंचित रखा गया है। संपत्ति का स्वामित्व, राज्य के बुनियादी राजनीतिक कर्तव्यों में भाग लेने से महिलाओं को दूर रखने के लिए विवाह और तर्कसंगतता को समय–समय पर महत्वपूर्ण पूर्व शर्तों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पिटकिन ने प्रतिनिधित्व के अध्ययन को व्यक्तिगत संबंध के स्तर से राजनीतिक व्यवस्था के स्तर तक बढ़ाया और प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया । पहचान जो कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा उत्पन्न करती है (पिटकिन 1967)। इस अवधारणा के तहत प्रतिनिधि उन लोगों को आवाज देते हैं जो उसी श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने समान अनुभव साझा किए हैं और बहुत कुछ समान है। ऐसे समूहों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली कोटा राजनीति का पूरा उद्गम सामाजिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ऐनी फिलिप्स विचारों की राजनीति और उपस्थिति की राजनीति के दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रतिनिधित्व के कारण का भी बचाव करती है, ये दोनों बढ़े हुए प्रतिनिधित्व की मांग के लिए महत्वपूर्ण तर्क हैं (फिलिप्स, 1998)।

एक उदार लोकतंत्र अपने उद्देश्य को विफल कर देगा यदि बड़ी संख्या में नागरिकों के पास सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसरों की कमी होगी। ऐसे मामलों में हम अधिक से अधिक सीमित लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक सशक्तिकरण को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जो लोगों को अपनी पसंद बनाने और अपने जीवन को अपने तरीके से उन्मुख करने देता है और इसलिए महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। 2000 में, संयुक्त राष्ट्र ने 2015 तक हासिल किए जाने वाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना उनमें से एक था। 2016 में, 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। पाँचवाँ लक्ष्य निर्णय लेने वाली संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर उन्हें नेतृत्व के अवसर प्रदान करके और उनमें उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना उनमें से एक था।

1950 में अपनाया गया भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को राजनीति में भागीदारी के समान अवसर की गारंटी देता है। महिलाओं को पुरुषों के साथ समान रूप से यह अधिकार दिया गया था। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा निभाई गई व्यापक भूमिका को पहचानने और उसके पालन के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। संवैधानिक गारंटी दिए जाने के बावजूद महिलाओं की स्थिति निम्न बनी रही और अर्थव्यवस्था और राजनीति में उनकी भागीदारी भी कम रही।

महत्वपूर्ण निर्णय लेने और शासन के उपयुक्त स्तरों पर पर्याप्त संख्या में पर्याप्त शक्ति, ज्ञान और क्षमता से लैस महिलाओं की अनुपस्थिति ने न केवल महिलाओं को लोकतंत्र और विकास के लाभों को प्राप्त करने में अक्षम बना दिया, बल्कि इसके कारण उनकी स्थिति और स्थितियों को भी कम कर दिया। राज्य के कामकाज में प्रवेश पाने और राज्य के तंत्र पर नियंत्रण साझा करने के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थानों में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। भारत में राजनीतिक अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि अगर समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, तो महिलाओं को खुद आगे आना होगा और सत्ता और कानून बनाने के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। सरकार के विकासात्मक मॉडल ने कई आपदाएँ पैदा की हैं और समाज पर कई हानिकारक प्रभाव पैदा किए हैं। महिलाएं प्रमुख शिकार के रूप में सामने आ रही हैं। चाहे वह जाति, सांप्रदायिक दंगे हों, किसान या श्रमिक संघर्ष, गरीबी और ऋणग्रस्तता, या दहेज, यौन हमले, महिलाएं अधिक से अधिक प्रत्यक्ष शिकार बन रही हैं।

आजादी के बाद से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का लेखा–जोखा

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के रूप में चुनावों में उनकी भागीदारी से मापा जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 1 और तालिका 2 पर एक नजर हमें निचले सदन– लोकसभा और उच्च सदन– राज्यसभा दोनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की सीमा का अवलोकन देती है। जैसा कि स्पष्ट है, 2009 के बाद से ही लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत दोहरे अंक में पहुंच गया है। 78 सदस्यों वाली वर्तमान लोकसभा में अब तक का सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व है। हालांकि एक प्रवृत्ति जो स्वागत योग्य है वह यह है कि पहले चुनाव के बाद से महिला प्रतियोगियों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही है। राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व भी घट रहा है। उच्चतम प्रतिनिधित्व 1991 –15 प्रतिशत में था और पिछले दस वर्षों से दोहरे अंकों में बना हुआ है। रुझान हालांकि पहले से बेहतर है, विश्व औसत की तुलना में प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है। वास्तव में कई दक्षिण एशियाई देशों की संसदों में भारत की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

तालिका–1 : लोक सभा में महिला सदस्य

(पहली से सत्रहवीं तक)

वर्ष	सीटों की कुल संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	महिला प्रतियोगी	कुल सदस्यों का प्रतिशत
1952	499	22	51	4.4
1957	500	27	70	5.4
1962	503	34	68	6.7
1967	523	31	66	5.9
1971	521	22	86	4.2
1977	544	19	70	3.4
1980	544	28	142	5.1
1984	544	44	159	8.1
1989	529	28	189	5.29
1991	544	37	325	7.07
1996	541	40	491	7.36
1998	545	44	274	8.07
1999	543	48	278	8.83
2004	543	49	284	9.02
2009	543	59	556	10.8
2014	543	62	661	11.4
2019	543	78	716	14

स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग

तालिका–2: राज्य सभा में महिला सदस्य

वर्ष	सीटों की कुल संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	कुल सदस्यों का प्रतिशत
1952	219	16	7.3
1957	237	18	7.5
1962	238	18	7.6
1967	240	20	8.3
1977	244	25	10.2
1978	243	17	7
1980	244	24	9.8
1989	245	24	9.7
1991	245	38	15.5
1996	223	20	9
1999	235	20	8.51
2002	244	24	9.8
2006	245	25	10.2
2008	244	24	9.8
2010	245	26	10.6
2014	244	31	12.7
2016	245	27	11
2018	245	28	11.4
2020	245	25	10

(स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग)

तालिका 3: विभिन्न चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत

वर्ष	पुरुष मतदान प्रतिशत	महिला मतदान प्रतिशत	कुल मतदान प्रतिशत	अंतर प्रतिशत
1962	66.3	46.6	55.4	16.7
1967	66.7	55.5	61.3	11.2
1971	60.9	49.1	55.3	11.8
1977	66	54.9	60.5	11.1
1980	62.2	51.2	56.9	11
1984	68.4	59.2	64	9.2
1989	66.1	57.3	62	8.8
1991	61.6	51.4	57	10.2
1996	62.1	53.4	58	8.7
1998	66	58	62	8
1999	64	55.7	60	8.3
2004	61.7	53.3	58.8	8.4
2009	60.2	55.8	58.2	4.4
2014	67.1	65.6	66.4	1.5
2019	67.3	66.9	67.1	0.4

(स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग)

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3 बताती है, हाल के वर्षों में मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है (सिंह, 2022)। 2019 के पिछले चुनाव में मतदान में लैंगिक अंतर घटकर 0.4 प्रतिशत पर आ गया है। चुनावों में यह रुझान वोट बैंक के रूप में महिलाओं के बढ़ते महत्व की ओर इशारा करता है। राजनीति में यह बढ़ती दिलचस्पी हालांकि पार्टियों के लिए महिलाओं की अधिक संख्या को चुनाव में खड़े होने की सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं लगती है। यह अक्सर कहा जाता है कि भारत के मुख्य राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को शिक्षा के प्रचार में सक्षम, कुशल और जीतने वाले उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं और महिलाओं के हितों का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए महिलाएं अच्छी मतदाता हैं लेकिन अच्छी उम्मीदवार नहीं हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में यह सच हो सकता है क्योंकि हेरफेर, अपराधीकरण, काले धन का उपयोग, बाहुबल का प्रयोग, अनैतिकता, चरित्र हनन और मिथ्या प्रचार चुनाव जीतने के उपाय बन गए हैं। स्वाभाविक रूप से अधिकांश महिलाएं राजनीति से विमुख होती जा रही हैं। उनके पारिवारिक उत्तरदायित्वों, सामाजिक अलगाव, आत्मविश्वास की कमी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, शक्तिहीनता ने उनकी राजनीतिक उदासीनता को बढ़ा दिया है।

1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से, महिलाओं को महिलाओं के रूप में लामबंद करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं देखा जा सकता है। महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानमंडल में एक–तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले 81ष्ठ संविधान संशोधन विधेयक (अब 108वां संशोधन विधेयक) पर, महिला सदस्य इतनी प्रभावी नहीं रही हैं कि वे छोटे दलों की राय को अपने पक्ष में ला सकें। हालांकि महिलाएं सांसद अपनी विविध राजनीतिक निष्ठाओं और विचारधाराओं के बावजूद एकजुट रहे हैं, विधेयक का भविष्य अभी भी अंधेरे में खड़ा है। भारत में बदलते राजनीतिक परिदृश्य

जिसमें गठबंधन सरकारें भी प्रचलित हैं, महिलाओं को चुनाव लड़ने और जीतने के लिए टिकट मिलने की संभावना बन गई है और भी दूरस्थ। कई बार ऐसा भी हुआ है जब कोई भी पार्टी शासन करने के लिए जनता से बहुमत जनादेश प्राप्त करने में सफल नहीं होती है और इसलिए अन्य छोटे दलों से गठबंधन बनाने के लिए विभिन्न क्रमपरिवर्तन और संयोजन किए जाते हैं। ये गठबंधन में प्रत्येक पार्टी को टिकट या सीटों की संख्या वितरित करते हैं। नतीजतन, प्रत्येक पार्टी के लिए सीमित सीटों की संख्या के कारण, पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी टिकट प्राप्त करने का दबाव बहुत बढ़ गया है। इसलिए महिलाओं के टिकट जीतने की संभावना और भी कम हो गई है। पूरी प्रक्रिया में शामिल हेरफेर, भ्रष्टाचार और मौद्रिक गणना महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रत्येक पार्टी के पास सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होने के कारण, पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी टिकट प्राप्त करने का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए महिलाओं के टिकट जीतने की संभावना और भी कम हो गई है। पूरी प्रक्रिया में शामिल हेरफेर, भ्रष्टाचार और मौद्रिक गणना महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रत्येक पार्टी के पास सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होने के कारण, पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी टिकट प्राप्त करने का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए महिलाओं के टिकट जीतने की संभावना और भी कम हो गई है। पूरी प्रक्रिया में शामिल हेरफेर, भ्रष्टाचार और मौद्रिक गणना महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पार्टियों के भीतर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, वर्तमान प्रतिस्पर्धी राजनीति का एकमात्र समाधान है जिसमें विचारधाराओं, मूल्यों और नैतिकता का कोई स्थान नहीं है।

भारत में महिला आरक्षण पर विमर्श का विकास

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुआ और इसे दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1917 में शुरू हुआ जब पहला महिला प्रतिनिधिमंडल महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का अनुरोध करने के लिए मोंटेग चेम्सफोर्ड समिति से मिला और 1928 तक चला। और 1928 से 1937 तक मताधिकार और प्रतिनिधित्व की शर्तों को व्यापक बनाने के प्रयास किए गए। मताधिकार की मांग पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलनों में उठाई गई थी। तीन महिला संगठनों– महिला भारत संघ, राष्ट्रीय महिला परिषद और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने महिलाओं के लिए नामांकन और आरक्षण की किसी भी योजना को खारिज कर दिया। 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र में हालांकि वयस्क मताधिकार के बजाय संपत्ति के मालिकों और साक्षरों की पत्नियों का आरक्षण और मताधिकार शामिल था (मजूमदार, 1979)।

महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर शुरू से ही स्वतंत्रता आंदोलन में स्पष्ट विभाजन था। जहां नरमपंथी आरक्षण देकर और नामांकन करके महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, वहीं महिला इंडिया एसोसिएशन और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे आंदोलन में अन्य लोग भी थे जो अपनी मांगों पर अड़े रहे। मौलिक अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहां तक कि 1939 में भारतीय महिलाओं की भूमिका की जांच करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय योजना समिति के तहत गठित महिला उपसमिति ने भी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को खारिज कर दिया।

स्वतंत्र भारत में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट के माध्यम से महिला आरक्षण का मुद्दा फिर उठा। 1974 की रिपोर्ट देश के कई लोगों की आंखें खोलने वाली थी। महिलाओं ने महसूस किया कि सभी संवैधानिक वादों और वयस्क मताधिकार के बावजूद, विधायिका में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत कम रहा। रिपोर्ट लिखने के दौरान चर्चा ने आरक्षण को सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में सुझाव दिया (गोपालन, 2002)।

यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोटिका सरकार और वीना मजूमदार द्वारा असहमति के नोट्स से पता चलता है कि वे महिलाओं के लिए आरक्षण के सुझाव के समर्थन में नहीं थे, लेकिन सैकड़ों विकलांगों और बाधाओं के सामने कठोर वास्तविकताओं के कारण उन्हें अपना मन बदलना पड़ा। महिलाओं पर थोपी गई सामाजिक व्यवस्था (सरकार, 1999)। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 में बनाई गई थी। यह महसूस किया गया कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बाधा डालने वाले कारकों के सामने, इसने सिफारिश की कि स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण और 30 प्रतिशत उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारा जाए। महिलाएं होनी चाहिए (भारत सरकार, 1988)

पंचायती राज जमीनी स्तर पर लोकप्रिय भागीदारी के लिए स्वतंत्र भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नवाचार है (शंकर 2018)। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को संवैधानिक दर्जा देने का पहला गंभीर प्रयास श्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा किया गया, जिन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम आखिरकार दिसंबर 1992 में पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पंचायत राज निकायों की कुल सदस्यता का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इन आरक्षित सीटों को एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बारी–बारी से आवंटित किया जाएगा स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने का मुख्य कारण राजनीति में अधिक महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करना और एक महत्वपूर्ण जन बनाना था।

दुनिया ने इस अधिनियम को एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा क्योंकि इसने स्थानीय राजनीति में दस लाख से अधिक महिलाओं को लाया। हालाँकि, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ थीं क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सामाजिक सीमाएँ बनी रहीं। जो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, वे ज्यादातर धनी और शक्तिशाली परिवारों से होती हैं, जो अपने पति के विकल्प के रूप में खड़ी होती हैं क्योंकि वे खुद आरक्षण के कारण चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती थीं। बहुत बार चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को हिंसा और चरित्र हनन की धमकियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि

कई मामलों में पति भी अपनी चुनी हुई पत्नियों की प्रमुखता के कारण मान्यता प्राप्त और महत्वपूर्ण महसूस करते थे। इससे पति–पत्नी के संबंधों में शक्ति गतिकी में परिवर्तन आया। ऐसे कई राज्य रहे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं की लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। तब इस आरक्षण को राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय विधानमंडल तक विस्तारित करना ही तर्कसंगत था।

महिला आरक्षण विधेयक की स्थिति

1989 में नौवीं लोकसभा तक, सभी राजनीतिक दलों ने माना कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण वोट बैंक थीं और इसके अलावा, 73 और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद, अगला तार्किक कदम संसद में आरक्षण का विस्तार करना था। संविधान (81 संशोधन) विधेयक, 1996 जैसा कि इसे कहा जाता है, के लिए प्रदान किया गयारू

–लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1ध्3 सीटों का आरक्षण। इन आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान उसी अनुपात में किया जाना चाहिए जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है। 14 मई 1996 को 11वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू करते हुए, जहां राष्ट्रीय विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा शामिल था, भारत में महिलाएं आसान मार्ग के लिए उत्सुकता से देख रही हैं विधेयक का।

हम सभी ने देखा है कि 1990 के दशक के बाद से विभिन्न सरकारों द्वारा कोटा के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बहुचर्चित महिला आरक्षण बिल को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। यह बिल 1996, 1998, 1999, 2003 में पेश किया गया था और अंत में 2008 में यूपीए सरकार के दौरान पेश किया गया था। महिलाओं के लिए इस कोटा के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए उप–कोटा रखने के मुद्दे पर कड़ी असहमति थी। हालांकि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने सिद्धांत रूप में बिल पर सहमति व्यक्त की और इसे हर चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में शामिल किया, लेकिन मतभेदों को दूर करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार भी इस बिल को लोकसभा में पेश तक नहीं कर पाई है. बिल पर राजनीतिक आम सहमति बनाने की कोशिश तक की कोई कोशिश होती नहीं दिख रही है. परिदृश्य को देखते हुए, दो क्षेत्रीय दलों– ओडिशा में बीजद और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने आगे बढ़कर 2019 में स्वैच्छिक पार्टी उम्मीदवार लिंग कोटा देने की घोषणा की (द इकोनॉमिक टाइम्स, 17 मार्च, 2019)। 2019 के चुनाव में महिलाओं ने सबसे अधिक सीटें जीतीं। पार्टियों की राजनीतिक इच्छाशक्ति निश्चित रूप से महिलाओं को राजनीति में और अधिक शामिल कर सकती है (टैन 2015)। हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है जो अपने तरीके से महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक शक्ति का संकेत देता है (देशपांडे 2009, 2014)। इस प्रवृत्ति ने राजनीतिक दलों को महिलाओं के मुद्दों को अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि वे उनके लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बनाती हैं। मी–टू इंडिया अभियान जैसी ऑनलाइन सक्रियता के कारण हाल ही में महिला उम्मीदवारों और मतदाताओं का मीडिया कवरेज भी सकारात्मक और सक्रिय रहा है।

हमें प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने का प्रयास करना चाहिए कि वह प्रत्येक चुनाव में पार्टी द्वारा वितरित टिकटों की कुल संख्या का एक–तिहाई हिस्सा महिलाओं को दे। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना होगा। इस उद्देश्य के लिए चुनौतियां हैं, जैसे कि इसके लिए राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी, जो हमारे समाज की गहरी जड़ों वाली पितृसत्तात्मक संरचना के कारण विकसित करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, यह संभव है कि आरक्षित टिकटों को उन महिलाओं को असमान रूप से दिया जा सकता है जो राजनीतिक और समृद्ध परिवारों से ताल्लुक रखती हैं, जिससे समावेशी राजनीति के महत्व को कम किया जा सकता है। यदि पार्टी स्तर पर सुधारों को लागू करना कठिन हो तो हमें महिला आरक्षण विधेयक पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हुआ, विभिन्न प्रवचनों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में विधेयक को संशोधित किया जा सकता है। विधेयक को 2010 में राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में कुछ पार्टियों द्वारा कड़ी आपत्ति के बाद रोक दिया गया था, यह दावा करते हुए कि बिल समानता सिद्धांत का उल्लंघन करता है और यह प्रतिनिधित्व के तर्क को विकृत करता है (मेनन, 2000)। महिलाओं के लिए इस कोटे के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए उप–कोटा रखने के मुद्दे पर भी काफी असहमति थी। हालांकि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने सिद्धांत पर बिल पर सहमति व्यक्त की और इसे हर चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में शामिल किया, लेकिन मतभेदों को दूर करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया (राय और स्प्रे, 2019)। राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन भी बहुत सहायक हो सकता है। बढ़ती महिला मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास में राजनीतिक दलों ने पहले ही महिला समर्थक नीतियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है (सिंह 2022)। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार की विकास नीतियों को कोटा के साथ या उसके बिना महिलाओं की ओर उन्मुख होना होगा। इसके लिए अधिक वकालत और समन्वय की आवश्यकता है। वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व को महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व के समानांतर चलना चाहिए, और उनके घटकों और आम जनता के साथ उनकी बातचीत और योगदान को उजागर करने की भी आवश्यकता है। चुनावी सुधारों के प्रमुख मुद्दों, जैसे बढ़ते अपराध और राजनीतिक चंदे के समाधान के प्रयासों से भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लाभ होने की संभावना है।

जैसे–जैसे महिलाओं की राजनीतिक मुक्ति के लिए आंदोलन गति खो रहा है, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के भीतर महिला संगठनों और नेटवर्क को उन्हें बड़े राजनीतिक परिवेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद करना जारी रखना चाहिए और

महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए पैरवी करना और दबाव बनाना जारी रखना चाहिए। भारत में राजनीतिक परिदृश्य पिछले एक दशक से बदल गया है। बहुसंख्यक सरकारें मजबूत राज्य और शक्तिशाली नेतृत्व तैयार कर रही हैं। बदलते राजनीतिक ज्वार को महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप बदलने की जरूरत है ताकि पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व हासिल करने का सपना दूर का सपना न बन जाए। शासन और नीति–निर्माण पर विमर्श को बदलने के लिए राजनीति में अधिक महिलाओं की आवश्यकता है, और आरक्षण विधेयक का अधिनियमन ही एकमात्र समाधान दिखता है।

REFERENCES

चावला, अक्षी *स्थानीय राजनीति में एक क्रांति,* IDR, 22 जनवरी, 2021,https://idronline-org/a&revolution&in&local&politics&women&participation/

आर्थर लुपिया और मैकुबिन्स मैथ्यू, (1998) *लोकतांत्रिक दुविधा,* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, यूएसए पृ0 39

पिटकिन, हन्ना, (1967). *प्रतिनिधित्व की अवधारणा,* कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ 86

बनर्जी, एस. 2005. *मेक मी ए मैन : मैस्कुलिनिटी, हिंदुइज्म, एंड नेशनलिज्म इन इंडिया,* अल्बानी, एनवाईः स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस

देशपांडे, आर. 2009. लोकसभा चुनाव 2009 में महिलाओं ने कैसे मतदान किया? *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* **44** (**39**) पृ0 82–87।

देशपांडे, आर (2014) 2014 में महिला वोट, *द हिंदू,* 26 जून

गोपालन, सरला (2002) *टुवार्ड्स इक्वेलिटी–द अनफिनिश्ड एजेंडा–स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया,* 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग,

भारत सरकार (1988) *महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना,* महिला एवं बाल विकास विभाग, पृ036–50

IPU Parline.2022 राष्ट्रीय संसदों पर वैश्विक डेटा,

जोशी, मधु (2018) जमीनी शासन में महिलाओं को बढ़ावा देनाः रणनीतियाँ जो काम करती हैंए भारत के लिए विचार, नवंबर 2018 https://www-ideasforindiaAin/topics/governance/promoting&women&in&grassroots&governance&strategies&thatwork-html;

कुमार, संजय, (2021) द इमर्जिंग वोट बैंक दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू टैप, *लाइव मिंट,* 27 अक्टूबर, 2021,https://www-livemint-com/politics/news/whypolitical&parties&now&see&women&s&vote&as&gamechanger&11635227413784-html

मेनन, निवेदिता (2000) मायावी महिलाः नारीवाद और महिला आरक्षण विधेयक, *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक* पृ0 3835–3844

मजूमदार, वीना (1979). *सिंबल ऑफ पावर,* एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे, पृष्ठ 136

नेल्सन बारबरा और चौधरी नजमा एड, (1997) *वूमेन एंड पॉलिटिक्स वर्ल्डवाइड,* लंदन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 27

साहू,निरंजन और कीर्तन चावली, (2022) विकेंद्रीकरणः हाउ द थर्ड टियर इंस्टीट्यूशंस हैव डीपन्ड इंडियाज डेमोक्रेसी, ओआरएफ एक्सपर्ट स्पीक, 15 अगस्त, 2022]https://www-orfonline-org/eÛpert&speak/decentralisation&75&how&thethird&tier&institutions&have&deepened&indias&democracy/

फिलिप्स,ऐनी. (1998) *उपस्थिति की राजनीति,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, पृ0.6

राय शिरीन और कैरोल स्प्रे (.2019)*प्रदर्शन प्रतिनिधित्व : भारतीय संसद में महिला सदस्य,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ 82

सरकार, लोटिका (1999). *महिला आंदोलन और कानूनी प्रक्रिया,* समसामयिक पेपर संख्या 24, महिला विकास और अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली, पीपी.301–303

शंकर, ऋचा (2014) स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मापनरू भारत का अनुभव, लिंग सांख्यिकी पर पांचवां वैश्विक मंच Aguascalientes, मैक्सिको, 3–4 नवंबर 2014

टैन, एन (2015) सिंगापुर में पार्टी कोटा और बढ़ती महिला राजनेता *राजनीति और लिंग* **11** (**1**) 196–207